

#1177

प्रधान एवं उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

कपासन

प्रीतसोहन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बैंगण स्थल


धारा अन्तर्गत - 136

रिपोर्ट

प्र.सं. 343/25

दायर दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

|         |           |       |  |                           |   |
|---------|-----------|-------|--|---------------------------|---|
| क्र.सं. | नाम-श्रीम | स्थान | महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक गारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। |                           | कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश  |
| 1       | अनुराधा   | 14    | वर्तमान प्रविष्टी  | शुद्ध प्रविष्टी           | तहसालीदर कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <del>खतासं. 14</del> <del>खतासं. 14</del> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। |
|         |           |       | स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर   | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया     | कपासन आदेश  |
|         |           |       | हस्ताक्षर पटवारी   | हस्ताक्षर प्रियदास        | पदेन सहायक कलक्टर कपासन   |
|         |           |       | पटवारी <del>अनुराधा</del>  | हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार | सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)   |

प्रतिनिधि पालनार्थ - पटवारी अनुराधा

1. पटवारी पटवारी अनुराधा

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार कपासन में अमल दरामद कर जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन